न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 27.12.2024

मुकदमा नम्बर 163/2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/341
गजेन्द्रप्रसाद सुथार पुत्र खुमाराम जाति सुथार निवासी कालूबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ. जिला बीकानेर।
—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री बजरंग शर्मा अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है कि वादी कस्बा श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी हैं। वादी की संयुक्त खातेदारी कृषिभूमि खाता संख्या नया 118 अन्तर्गत खेत खसरा नम्बर 366 क्षेत्रफल 10.3200 हैक्टेयर बारानी वाके रोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है जिसमें वादी का 4/27 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड में स्थित हैं और उसी अनुसार वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादी का वास्तविक नाम गजेन्द्रप्रसाद पुत्र खुमाराम हैं लेकिन वादी के उपरोक्त खेत के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम गजानन्द पुत्र खुमाराम जाति सुथार निवासी श्रीडूंगरगढ़ अंकित है। वादी सीधा साधा किसान हैं और उक्त भूमि वादी को विरासतन प्राप्त हुई हैं और वादी के परिवारजन साधारणतया अनपढ या साक्षर मात्र हैं इसलिए वादी का नाम उक्त भूमि में विरासतन दर्ज करते समय किसी परिवानजन नें वादी का नाम गजानन्द दर्ज करवा दिये जाने के कारण वादी के उक्त खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गजेन्द्रप्रसाद की बजाय गजानन्द अंकित कर दिया गया। वादी का वास्तविक नाम गजेन्द्रप्रसाद हैं और जमाबन्दी में वादी के संयुक्त खातेदारी खेत में गजानन्द अंकन होने की वजह सें वादी को उपरोक्त वादगत खेत की कृषिभूमि को सुधार, केसीसी इत्यादि बनवानें के लिए काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वादी के समस्त पहचानपत्र दस्तावेजों यथा मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैक डायरी आदि में वादी का नाम गजेन्द्रप्रसाद अंकित है। वादगत खसरा भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया। वादी साधारण किसान हैं जिसको इस बात की जानकारी तब हुई जब वादी अपने खेत पर केसीसी करवानें पटवारी हल्का के पास प्रमाणित जमाबन्दी लेने के लिए गया और पटवारी नें बताया की आपका नाम रिकार्ड में गजेन्द्रप्रसाद की बजाय गजानन्द अंकित हैं। इस बाबत वादी दिनांक 02.08.2024 को प्रतिवादी श्रीमान् तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष पेश होकर अपना नाम वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में सही करने का निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया जाना अपने कार्यक्षेत्र, अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही होना कहकर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश सें ऐसा किया जाना इंकार कर दिया। राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन होने सें प्रतिवादी के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ेगा जब कि इसके विपरित सही नाम दर्ज नही होने से वादी को अपूर्णीय क्षति होगी । वादी के पास वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध नाम गजेन्द्रप्रसाद दर्ज करवाने के लिए घोषणा की डिक्री के अलावा अन्य कोई विकल्प नही रहा है। वादगत खेत वादी की संयुक्त खातेदारी व [illegible] काश्त का होने सें वादी को खिलाफ प्रतिवादी वादाधार हासिल है। प्रतिवादी द्वारा दिनांक [illegible].08.2024 को वादी का वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में सही नाम [illegible] प्रतिवादी के खिलाफ वादहेतु हासिल है। वादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] राजस्थान राज्य को [illegible] आवश्यक पक्षकार संयोजित किया हैं और स्टेट से नाम शुद्धि [illegible] अलावा अन्य किसी [illegible] का अनुतोष नही चाहा गया है। राज्य को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का दो माह का नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

दिया जाना आवश्यक है । वादी का दावा अर्जेन्ट नेचर व तुरन्त अनुतोंष प्राप्ति का होने के कारण धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र अलग से प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान् की अनुमति सें यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खेत रोही जेतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने सें यह दावा श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि दावा बहक वादी निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावें

(क) कि घोषित किया जावें कि खेत खसरा नम्बर 366 क्षेत्रफल 10.3200 हैक्टेयर रोही जेतासर तहसील श्रीडूंगरगढ में वादी का नाम गजानन्द की जगह गजेन्द्रप्रसाद घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अंकन किया जावें ।

(ख) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा उत्पन्न हो जायें वादी को प्रतिवादी सें दिलवाया जावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य पेश कर दस्तावेज प्रर्दश करवायें गये। साक्ष्य प्रतिवादी शून्य। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी का नाम खेत खसरा नंबर 366 तादादी 10.3200 हैक्टेयर वाकेरोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ में गजानन्द की जगह गजेन्द्रप्रसाद घोषित कर शुद किये जाने का निवेदन किया गया।

स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि वादी के पिता खुमाराम की विरासतन के नामान्तरकरण संख्या 518 स्वीकृत दिनांक 28.01.2013 के अनुसार वादी का नाम गजानंद पुत्र खुमाराम दर्ज है जो कि वर्तमान समय तक चला आ रहा है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी राजस्व रेकार्ड में किसी तरह की अशुद्धि नहीं हुई है।

हमनें उभयपक्षकारन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा जरिये घोषणात्मक रिकार्ड दुस्स्ती का अनुतोष अपने वाद में चाहा गया है। वादी द्वारा साक्ष्य पेश कर अपने सही नाम के दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये है। प्रतिवादी द्वारा इन्तकाल दस्तावेज दर्ज हुआ है उस संबंध में वादी के पहचान का कोई दस्तावेज नाम बाबत् पेश नहीं किया गया है। लिहाजा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 366 क्षेत्रफल 10.3200 हैक्टेयर रोही जेतासर तहसील श्रीडूंगरगढ में वादी का नाम गजानन्द की जगह गजेन्द्रप्रसाद घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2024 ...को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:25 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल

उनवान

गजेन्द्रप्रसाद सुथार पुत्र खुमाराम जाति सुथार निवासी कालूबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़।

दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
मुकदमा नम्बर 163/2024
निर्णय दिनांक: 27.12.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता बजरंग शर्मा एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकाराराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 366 क्षेत्रफल 10.3200 हैक्टेयर रोही जेतासर तहसील श्रीडूंगरगढ में वादी का नाम गजानन्द की जगह गजेन्द्रप्रसाद घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक27माह12सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)